न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 409/17 (धारा 76 भू राज0भू.अधि0 1956) (RCMS No.2017/00435)

मोहनसिंह पुत्र केशरसिंह जाति ठाकुर निवासी खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. निरंजन
2. हरीसिंह — पुत्रान
3. सोहनलाल
4. भागचन्द
5. उगन्ती — पुत्रीयान
6. सौनदेई
7. सुफेदी

प्रभु जाति ब्राहमण निवासी खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर बयाना दिनांक 22.7.2016 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 548 दिनांक 6.1.1971 ग्राम पंचायत खानखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 29.11.2023

उक्त द्वितीय अपील एल.आर.एक्ट की धारा 76 के तहत उप जिला कलक्टर बयाना क आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से उप जिला कलक्टर बयाना के समक्ष ग्राम पंचायत खानखेड़ा तहसील बयाना की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 548 दिनांक 06.01.1971 के विरूद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की गई थी कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व मौके की जांच नहीं की गई व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में खातेदार प्रमु के सजरे का उल्लेख करते हुए यह अंकित किया गया था कि सविक खसरा नंबर 362 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, 436 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा कुल किता 2 रकबा 5 वीघा 17 विस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त नया नंबर 621 रकबा 0.55 है0, 622 रकवा 0.18 है0 व 622 रकबा 0.22 है0 बनाये गये हैं, के सालिम भाग का खातेदार काश्तकार प्रभु था जिसकी मृत्यु 1970 में हुई थी। मृत्यु के समय 8 वारिस थे। जिनमें एक बेवा, 3 पुत्री व 4 पुत्र थे। उक्त सम्पत्ति में प्रभु की मृत्यु के समय नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसकी बेवा चारों पुत्र व तीन पुत्रियों के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं

29.11.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया। अपीलान्ट निरंजन मृतक प्रभु की मृत्यु के समय 3 माह का था व मृतक प्रभु की बेवा पत्नि जीवित थी, जिसकी मृत्यु सन् 2009 में हुई थी, जो विवादित सम्पत्ति मृतक प्रभु द्वारा छोड़ी गई थी उसका नामान्तकरण रैस्पोडेन्टस हरिसिंह, सोहनलाल, भागचंद के नाम गलत दर्ज किया गया। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण की विवादित आराजी की स्थिति प्रभु के जीवनकाल के इन्द्राज की पुनः बहाल की जाकर मृतक प्रभु का नामान्तकरण पुनः जांच कर तस्दीक किये जाने के आदेश दिए जावें। अदालत मातहत में उक्त अपील को अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.07.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से खोले गए नामान्तकरण को निरस्त कर प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार बयाना को रिमाण्ड किया गया कि वे मृतक प्रभु के वारिसान की जांच कर नियमानुसार विरासत दाखिल खारिज दर्ज करने की कार्यवाही करें। उपखण्ड अधिकारी बयाना के उक्त आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से द्वितीय अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से श्री दीपक शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण की मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि नामान्तकरण संख्या 548 दिनांक 06.01.1971 के विरूद्ध रैस्पोडेन्ट की ओर से लगभग 47 वर्ष बाद अदालत मातहत में अपील पेश की गई थी। उसके बाद अनेक बार जमाबन्दियों की प्रविष्टियां बदल चुकी थी तथा इसी बीच दिनांक 10.11.78 को विवादित सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट को हस्तान्तरित कर दी। इस कारण रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का स्वत्व व आधिपत्य वयनामा दिनांक 10.11.1978 से ही समाप्त होकर अपीलान्ट के हक में हो चुका है। इसलिए नामान्तकरण संख्या 548 का अस्तित्व समाप्त हो गया था। उसको निरस्त कराने से कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इस तरह का आदेश प्रभावहीन है। उक्त तथ्यों को छिपाकर एवं तृतीय पक्ष निरंजन से अपील कराकर एवं उसमें राजीनामा देकर अदालत मातहत को धोखा देकर षडयन्त्र पूर्वक अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है, जो कि अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्ध मियाद बाहर अपील पेश की गई थी, रैस्पोडेन्ट की ओर से अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया कि उन्हें अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में कैसे व किस के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी मियाद के बिन्दु को तय किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मियाद के बिन्दु को तय किये बिना अपील को मैरिट पर तय किये जाने का कोई अधिकार नहीं था। इस संबंध में वकील अपीलान्ट ने 2011 (1) आर.आर.टी. पेज 421 पर उद्धरित निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कालबाधित अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना चाहिए। मैरिट पर आदेश विलम्ब शमन के बाद पारित किया जा सकता है। उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट निरंजन व रैस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे तथा उन्होंने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की थी। अपीलीय न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लिए बिना अपील पेश करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पोडेन्ट की अपील पोषणीय नहीं होने व काबिल खारिज होने के वाबजूद अदालत मातहत ने इस बिन्दु को नजरअन्दाज कर मैरिट पर निर्णय किया है, जो कि निरस्तनीय है। अपील प्रस्तुत करने से पूर्व रैस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 ने दिनांक 07.04.2010 को अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध विवादित सम्पत्ति पर घोषणा खातेदारी व विभाजन का दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था, जिसमें अपीलान्ट के इन्द्राजात खातेदारी को चैलेन्ज किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि रैस्पोडेन्ट को सन् 2010 से पूर्व ही अपीलान्ट के वयनामे का ज्ञान है, परन्तु इस तथ्य को जानबूझकर छिपाते हुए सोची–समझी चाल के तहत वयनामा का उल्लेख किये बिना दावा किया गया। जिसमें रैस्पोडेन्ट निरंजन को न तो भाई माना गया है और न ही हिस्सा माना है। उक्त दावे में स्वयं का 1/7, 1/7 व मां व तीन बहिनें एवं 3 भाई रैस्पोडेन्ट नंबर 2 लगायत 4 का हिस्सा बताकर 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन मांगा है। इसके बाद सभी ने मिलकर नामान्तकरण के विरूद्ध 6 वर्ष पश्चात उक्त अपील अदालत मातहत में पेश की, जो अवैधानिक है, क्योंकि दावे के रहते नामान्तकरण संबंधी संक्षिप्त कार्यवाही नहीं हो सकती थी, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से उपरोक्त सभी तथ्यों को छिपाते हुए अदालत मातहत से अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया। चूंकि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने अपने हिस्से की भूमि दिनांक 10.11.2078 को अपीलान्ट को विक्रय कर दी थी। उसी दिन से उक्त भूमि में स्वत्व समाप्त हो गए थे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट एवं रैस्पोडेन्ट ने राजीनामा देकर अपील स्वीकार कराई है। रैस्पोडेन्ट ने वर्ष 1978 में ही सम्पूर्ण विवादित भूमि को अपीलान्ट को विक्रय कर दी थी व अपीलान्ट उसी समय रिकार्ड में खातेदार हो गया था व रैस्पोडेन्ट का स्वत्व समाप्त हो गया था। इसलिए अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि पर रैस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो राजीनामा किया गया है वह अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट को इस तरह का राजीनामा करने का अधिकार नहीं था। वकील अपीलान्ट ने उक्त तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 1979 पेज 1 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में रैस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 को विवादित भूमि के

संबंध में राजीनामा करने का कोई अधिकार नहीं था। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए है। अपीलान्ट दिनांक 10.11.78 के वयनामे के आधार पर विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है व काबिज होकर काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 548 दिनांक 06.07.71 को निरस्त कर उससे पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश से अपीलान्ट की खातेदारी निरस्त होकर रैस्पोडेन्ट के पिता के नाम इन्द्राजात होने से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार हैं। उसकी बैक पर उक्त आदेश पारित किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया। रैस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से कॉल्यूजिम आदेश प्राप्त किया है, जो कि 2018 (2) आर.आर.टी पेज 1355–1356 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त की अपील में केता को पक्षकार नहीं बनाया गया और दुरभि सन्धि द्वारा भूमि के विकेताओं ने उनकी सहमति दी। इस आधार पर पारित आदेश को न्यायोचित नहीं माना गया है। अतः उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अदालत मातहत में अपीलान्ट पक्षकार नहीं था। अतः अपीलाधीन निर्णय के बारे में अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी। इस निर्णय की जानकारी दिनांक 11.07.2017 को रैस्पोडेन्ट हरिसिंह द्वारा अपीलाधीन निर्णय के बारे में बताया गया कि निरंजन ने उपखण्ड अधिकारी बयाना से दाखिल खारिज समाप्त करा दिया है, जो कि अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए हैं। इस तरह के आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है। ऐसा आदेश जिसमें व्यथित व्यक्ति को पक्षकार बनाये बिना या बिना सूचना के आदेश पारित किया गया हो। इस तरह के आदेश को शुरू से ही शून्य माना गया है। इस तरह का सिद्धान्त आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 269 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रैस्पोडेन्ट से होते ही निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2016 निरस्त किया जावे व अपीलान्ट के नाम दर्ज खातेदारी को यथावत रखे जाने के आदेश दिए जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली व वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में सन्दर्भित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.2016 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 28.04.2017 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। इसके अलावा भी वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नजीर आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 269 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी अपीलान्ट जो कि विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, को रैस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसलिए अपीलान्ट की ओर से अपना पक्ष अदालत मातहत में नहीं रखा जा सका था। इस तरह के आदेश के विरूद्ध अपील पेश किये जाने की कोई मियाद नहीं होना माना गया है। अतः उक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट जो कि जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 के अनुसार विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, को पक्षकार बनाये बिना अपील पेश की गई थी तथा अपील में रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 की ओर से विवादित भूमि का विक्रय अपीलान्ट को किये जाने के तथ्य को छिपाया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व रैस्पोडेन्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई निर्णय पारित नहीं कर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से किये गये राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 548 दिनांक 05.01.71 को निरस्त कर तहसीलदार बयाना को पुनः विरासत की जांच कर नामान्तकरण खोले जाने के आदेश दिया है, जो कि आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 421 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है, क्योंकि प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद का प्रश्न पहले निर्णित किया जाना चाहिए था। विलम्ब शमन के बाद ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता था। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर 1979 आर.आर.डी. पेज 1 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रैस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 जिनके द्वारा विवादित भूमि के संबंध में अदालत मातहत में राजीनामा किया है। उस भूमि का विक्रय वर्ष 1978 में ही अपीलान्ट को किया जा चुका था। उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विक्रय के दिन से ही विक्रेता का विवादित भूमि पर स्वत्व व अधिकार समाप्त हो गए थे। इसके बावजूद रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मातहत में राजीनामा पेश किया गया है, जो कि उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं कहा जा सकता है।

इसी प्रकार आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1355 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर अपीलान्ट को प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्षकार को सुने बिना पारित किये गये आदेश को अवैध व शून्य प्रभाव लिए हुए माना गया है। इस आधार पर अदालत मातहत की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.07.2016 उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बयाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने, विवादित भूमि के संबंध में विद्यमान राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.2023

(साँवर मल वर्मा)
सभागीय आयुक्त
भरतपुर।

सभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर